(6)

2.2

संख्या– 315 / III(2) / 14–57(प्रा0आ0) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी, 2014

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 21 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 / कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 21 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 111.00 किमी0 + 06 सेतु तथा लागत ₹ 897.90 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 897.90 लाख** (₹ आठ करोड़ सतानवे लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 21 कार्य हेतु ₹ 2.10 लाख (₹ दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

356
20/02/2014

7

2.2(ब)

ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—03—2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन / मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़कें —आयोजनागत —800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर—02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या—776(A) / XXVII/(2)/2013 दि0: 08 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः— (1) / III(2) / 14—57(प्रा0आ0) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

(8)

2.2(b)

P' PDA+CDA

शासनादेश संख्याः– 815 / III(2)/14–57(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08 फरवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणऊँ–दाड़िम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	39.08 [₹ 29.25 + ₹ 9.83 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चौखुरी से कुँज–आरा–खड़िया होते हुए जमाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	15.00	117.23 [₹ 87.75 + ₹ 29.48 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत रतखान से रालाकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	32.47 [₹ 23.40 + ₹ 9.07 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	198.99 [₹ 17.55 + ₹ 181.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्याँ से उरेगी–सिमल्टी– कपलेश्वर–सैंजा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	11.00	89.30 [₹ 64.35 + ₹ 24.95 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धारखोला से कपिलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	31.26 [₹ 23.40 + ₹ 7.86 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्याँ से जिफल्टा–नैड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	48.71 [₹ 35.10 + ₹ 13.61 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–गंगोलीहाट में चहज से सिनलेख तक डामरीकरण। (प्रथम चरण)	15.00	2.55	0.10
	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–पिथौरागढ़ में जाख टाला फगाली कलिया टुंडा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण। (प्रथम चरण)	5.00	29.25	0.10
	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत मैखुली–देवराडी मोटर मार्ग के किमी0 5 में मोटर लौह पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	30 mt	2.10	0.10
	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत मैखुली–देवराडी मोटर मार्ग के किमी0 2 में मोटर पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	12 mt	0.84	0.10
	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत थलीसैंण बस अड्डे से डाक बंगला–हॉस्पिटल –माडीसैंण होते हुए डिग्री कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.50	11.16 [₹ 8.77 + ₹ 2.39 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०